आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	कैफियत
21.07.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। नागरमल का कायम मुकाम स्वीकार किया गया। बहस पत्रावली श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मौका जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम छापौली के खसरा नम्बर 6155/2531, 6256/2565, 6157/4635 का कटानशुदा रास्ता मौके पर चालू है तथा उक्त रास्ता कैचमेन्ट एरिया में आता हैं। ग्राम छापौली के खसरा नम्बर 2531, 4635/2565 के दक्षिण दिशा में स्थित रास्ता मौके पर चालू का प्रस्ताव तैयार कर तहसील कार्यालय उदयपुरवाटी से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मार्फत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू को भिजवाया गया हैं। अप्रार्थी वकील ने बहस के दौरान कथन किया कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के आदेश क्रमांकः— 5679 दिनांक 16.08.2018 के द्वारा ग्राम छापौली के खसरा नम्बर 2531, 2565, 4635/2565 में किया गया प्रचलित रास्ता कटाण का रास्ता कैचमेन्ट एरिया में आता हैं और खसरा नम्बर 2531, 4635/2565 के दक्षिण दिशा में स्थित रास्ता मौके पर चालू हैं और इसका प्रस्ताव तैयार कर तहसील कार्यालय उदयपुरवाटी से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मार्फत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू को भिजवाया गया हैं। अतः माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पूर्व में प्रचलित रास्ता को कटाण में किया गया रास्ता की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए उक्त आदेश को निरस्त फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावें। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी वकील के अनुसार ग्राम छापौली के खसरा नम्बर 2531, 4635/2565 के दक्षिण दिशा में स्थित रास्ता मौके पर चालू हैं और इसका प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू को भिजवाया जा चुका हैं। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.08.2018 द्वारा प्रचलित रास्ता को कटाण में किये गये रास्ता की आवश्यकता नहीं हैं। अतः इस न्यायालय के आदेश आदेश क्रमांकः—राजस्व/2018/5679 दिनांक 16.08.2018 को अपास्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता हैं कि इस न्यायालय के आदेश आदेश क्रमांकः—राजस्व/20[illegible] दिनांक 16.08.201 के तहत ग्राम छापौली के राजस्व रि[illegible]ड [illegible] हुए अमल दरामद को संशोधित कर पूर्व स्थिति बहाल की जा[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो[illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Ram Singh Rajawat Date: 2023.06.14 10:37:31 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)	